

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :-45/25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

यूको बैंक
बोरानाड़ा, जोधपुर जरिये प्राधिकृत
अधिकारी श्री विक्रम प्रकाश

- मेसर्स गौर एकवा टेक्कनों इंजीन्यरिंग के. 758 विवेक विहार स्कीम नियर सांगरिया इंडस्ट्रियल एरिया जिला जोधपुर
- संतोष गौर पत्नि प्रकाश गौर 7 आई 52 और 52 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक:-05-06-2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मेसर्स गौर एकवा टेक्कनों इंजीन्यरिंग व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 38,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण संतोष गौर पत्नि प्रकाश गौर की जायदाद रेसिडेंटइल बिल्डिंग अत प्लॉट न. 758, सेक्टर K विवेक विहार, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 2100.00 वर्ग फुट व All kind of Manufacturing of RO Plant and Water Jar and finished goods etc. stocks and any kind whatsoever stored in permise warehouse/Godowns situated at K-758, Vivek Vihar Scheme, near Sangariya Industrial Area Jodhpur, Rajasthan. जिसके

में प्लॉट नम्बर 759, दक्षिण में प्लॉट नम्बर 758, विवेक विहार, जिला जोधपुर, राजस्थान में रास्ता आया हुआ, को प्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से हाईपोथिकेशन करने में



Signature valid

Digitally signed by G. Rav Agrawal, Designation: Collector & District Magistrate, Date: 2025.06.05 15:29:22 +05'30', Reason: Approved

